रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226886 CG-MH-E-06052021-226886

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

No. 192]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2021/19.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-
- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन)
 विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-

2505 GI/2021 (1)

- विनियम 1 में, उप-विनियम (3) के परंतुक में, शब्द और चिह्न "संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)", शब्दों "इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- II. विनियम 3 में, मौजूदा उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - "(5) इस विनियम के प्रयोजनार्थ, जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया हुआ हो, उसके मामले में "पच्चीस प्रतिशत" के किसी संदर्भ को "उनचास प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाएगा।"
- III. विनियम 6 में, मौजूदा उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-
 - "(4) इस विनियम के प्रयोजनार्थ, जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया हुआ हो, उसके मामले में "पच्चीस प्रतिशत" के किसी संदर्भ को "उनचास प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाएगा।"
- IV. विनियम 26 में, उप-विनियम (6) के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - "परंतु यह और कि खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) के प्रस्ताव के संबंध में तर्कसंगत (युक्तियुक्त) सिफारिशें देते समय, सिमति यह बताएगी कि जिस बैठक में खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी उस बैठक में मत कैसे पड़े (का वोटिंग पैटर्न क्या रहा)।"
- V. विनियम 29 में, मौजूदा उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - "परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया हुआ हो, उसके मामले में "पाँच प्रतिशत" के किसी संदर्भ को "दस प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाएगा।"
- VI. विनियम 29 में, मौजूदा उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
 - "परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया हुआ हो, उसके मामले में "पाँच प्रतिशत" के किसी संदर्भ को "दस प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाएगा, और "दो प्रतिशत" के किसी संदर्भ को "पाँच प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाएगा।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./52/2021-22]

पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :

- क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
- ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
- ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
- ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
- च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
- झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
- ज) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा
- ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एलए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा
- ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा
- थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एन आरओ/जीएन/2020/14, द्वारा
- ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा
- न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 5th May, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/19.— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:-

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,-
- I. In regulation 1, in the proviso under sub-regulation (3), the words "Institutional Trading Platform" shall be substituted with the words "Innovators Growth Platform".
- II. In regulation 3, after the existing sub-regulation (4), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,
 - "(5) For the purpose of this regulation, any reference to "twenty-five per cent" in case of listed entity which has listed its specified securities on Innovators Growth Platform shall be read as "forty-nine per cent"."
- III. In regulation 6, after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,
 - "(4) For the purpose of this regulation, any reference to "twenty-five per cent" in case of listed entity which has listed its specified securities on Innovators Growth Platform shall be read as "forty-nine per cent"."
- IV. In regulation 26, after the first proviso to sub-regulation (6), the following new proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided further that while providing reasoned recommendations on the open offer proposal, the committee shall disclose the voting pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed."
- V. In regulation 29, after the existing sub-regulation (1), the following new proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided that in case of listed entity which has listed its specified securities on Innovators Growth Platform, any reference to "five per cent" shall be read as "ten per cent"."
- VI. In regulation 29, after the existing sub-regulation (2), the following new proviso shall be inserted, namely, -
 - "Provided that in case of listed entity which has listed its specified securities on Innovators Growth Platform, any reference to "five per cent" shall be read as "ten per cent" and any reference to "two per cent" shall be read as "five per cent"."

AJAY TYAGI, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./52/2021-22]

Footnote:

- 1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.
- 2. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were subsequently amended on:
 - a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.

b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

- c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
- e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
- f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
- g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
- h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
- i) May 25, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
- j) March 6, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- k) August 14, 2017 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.
- l) June 01, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
- m) September 11, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
- n) December 31, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/55.
- o) March 29, 2019 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/06.
- p) July 29, 2019 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/27.
- q) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- r) June 16, 2020 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/14.
- s) June 22, 2020 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/19.
- t) July 01, 2020 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/20.